


राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर


विधि सं. 30/2014/अजमेर
 अपील सं. राजस्थान ल. आ. 2014/2014 जिला अजमेर
 अपील सं. 270/2014 अजमेर

उनवान

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
---------------	---------------------------------	---

28-4-14	<p>उपरोक्त के मय अजमेर</p> <p>श्री मदन लाल - सदस्य</p> <p>श्री अमर सिंह - सदस्य</p> <p>उपराजकीय अधिकारता-की रुन-के: केद एवं अपार्थी वकील-की डी. कुमार उपस्थित।</p> <p>उपराजकीय अधिकारता ने निकेल किया कि कर बोर्ड की पूर्व उपरोक्त द्वारा दिनांक 17-10-2013 को निर्णय पारित किया है जिसमें अपीलीय अधिकारी को निर्देशित किया गया था कि आदेश पारित से-चार (4) माह के भीतर लिखित अपील का निस्तारण किया जावे। परन्तु अपीलीय अधिकारी ने पनांक 3439 को के 17-2-2014 द्वारा सूचित किया है कि अपील निष्पादन हेतु और समय की आवश्यकता है। कार्य अधिक होने की वजह से अपील निष्पादन नहीं हो सका। अतः समय और बढ़ाया जावे।</p> <p>विद्वान अपार्थी वकील ने कोई आपत्ति नहीं की।</p> <p>हमें उपरोक्त वदम सुनी एवं विविध धारणा पत्र में दिये गये तर्कों का उपलोकन किया। यह उपरोक्त उचित समझती है कि उक्त प्रकरण में अपीलीय अधिकारी के यहाँ लिखित अपील का निस्तारण करने हेतु तीन (3) माह का समय और दिया जाना उचित उचित है। इस अवधि के दौरान पूर्व में दिया गया स्पष्टान भी जारी रहेगा।</p> <p>अतः उपरोक्तानुसार विविध धारणा पत्र स्वीकार किया जाता है।</p>	
---------	--	--


 सदस्य
 राजस्थान कर का
 अजमेर


 सदस्य
 राजस्थान कर का
 अजमेर